

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 54/2013

1. मु. छाऊ बेवा उगमा
2. जगदीश पुत्र श्री उगमा
3. श्योराज पुत्र श्री उगमा
4. बालू राम पुत्र श्री उगमा
5. लादी पुत्री उगमा
6. बजरंग लाल पुत्र श्री उगमा
7. मिश्री पुत्र श्रीकिशन

सभी जाति जाट सभी निवासीगण ग्राम केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र श्री उगमा जाति खटीक निवासी ग्राम नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गोपी पुत्र कुररा जाति बैरवा साकिन नई बिसलपुर कॉलोनी ग्राम सदारा तहसील केकडी जिला अजमेर
3. श्रीमति दाखा पुत्री श्री मोती लाल पत्नि हरदेव रेगर निवासी सरवाड हाल मुकाम ग्राम बासेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. श्रीमति रसाल पत्नि रामपाल निवासी रेगर मौहल्ला भैरू गेट पुरानी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
5. दीपक पुत्र श्री रामपाल जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
6. श्रीमति संतोष उर्फ संतो देवी पुत्री श्री रामपाल पत्नि श्री मिठू जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला हाल मुकाम बासेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
7. श्रीमति आशा पुत्री रामपाल पत्नि सत्यनारायण जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला हाल मुकाम बासेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

.....रेस्पोंडेन्ट्स



**अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956**

- उपस्थित :-**
1. श्री खडग सिंह, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
 2. श्री राकेश अरोडा, वकील रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से।
 3. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील।

—: आदेश :-

दिनांक 18.03.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील केकडी जिला अजमेर के राजस्व ग्राम केकडी स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1839 किता 4 रकबा 1.25 व खाता संख्या 1396 किता 5 रकबा 0.79 के सहखातेदार श्री रामपाल पुत्र श्री

अपर कलक्टर
अजमेर

मोतीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम केकडी की मृत्यु हो जाने पर मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2920 दिनांक 12.09.2013 से श्रीमति रसाल पत्नि श्री रामपाल, श्री दीपक पुत्र श्री रामपाल, संतोष, आशा पुत्रियां श्री रामपाल व दाखा पुत्री श्री मोतीलाल समस्त जाति रेगर निवासीगण ग्राम केकडी के पक्ष में तहसीलदार केकडी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्टस द्वारा तहसीलदार केकडी के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 12.09.2013 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोंडेन्टस ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई, मियाद प्रार्थना पत्र संलग्न किया है किन्तु शपथ पत्र संलग्न नहीं है। वकील रेस्पोंडेन्टस द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्टस ने हमारा ध्यान मियाद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र की ओर आकर्षित करते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील मेरिट पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्टस ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम केकडी के साबिक खसरा नम्बर 3909,5310 व 4337 जिसके नये खसरा नम्बर 2826,2829,2830 व 2831 कुल रकबा 1.25 हैक्टर पूर्व में श्री घनश्याम पुत्र श्री नेमीचंद जाति महाजन की खातेदारी में संवत् 2016 से 2019 में दर्ज थी जिनकी मृत्यु होने पर मृतक की विरासत का नामान्तरकरण उनके दो पुत्रों श्री हरिदास व श्री भगवानदास के पक्ष में दिनांक 11.05.1961 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात श्री भगवानदास के लाओलाद फौत हो जाने पर विरासत में विवादित भूमि श्री हरिदास को प्राप्त हुई व श्री हरिदास ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 01.06.1963 को अपीलान्ट के पिता श्री उगमा व श्री मिश्रीलाल को विक्रय कर कब्जा मौके पर अपीलान्टस को संभला दिया, तबसे अपीलान्टस विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु विवादित भूमि को लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर ने अवैधरूप से संवत् 2023 से 2025 की जमाबंदी में श्री श्रवण पुत्र श्री मोतीलाल रेगर के नाम अंकित कर दी। वकील अपीलान्टस का आगे कथन है कि अपीलान्टस के पिता श्री उगमा व अपीलान्ट संख्या 7 द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के श्री हरिदास, श्रवण व राज्य सरकार के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा वाद संख्या 17/68 दिनांक 07.09.1972 को वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाकर श्री उगमा व श्री मिश्रीलाल को विवादित भूमि का खातेदार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये किन्तु डिक्री के बावजूद भी राजस्व रेकार्ड से श्री श्रवण का नाम नहीं हटाया गया तत्पश्चात श्री श्रवण की मृत्यु होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 587 अवैध रूप से मृतक के वारिसान में भाई व बहन श्री रामपाल व दाखा तथा श्री मोतीलाल की पत्नी श्री गलकू के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। वकील अपीलान्टस ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि श्री रामपाल की मृत्यु



8/ ✓
अपर क्लर्क
धरमेर

होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक की विरासत उनके वारिसान श्रीमति रसाल, दीपक पुत्र श्री रामपाल, संतोष, आशा पुत्रियां श्री रामपाल व दाखा पुत्री मोतीलाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 2920 दिनांक 12.09.2013 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी जबकि विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्टस के पक्ष में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित था, इसके बावजूद विवादित भूमि का विक्रय अवैध व्यक्तियों द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को कर दिये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार व कब्जे की जांच किए नामान्तरकरण संख्या 2921 दिनांक 12.09.2013 क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि विवादित भूमि पर श्री श्रवण के भाई व भतीजों का कोई कब्जा नहीं रहा तथा न ही श्री रामपाल की मृत्यु होने पर उनके वारिसान का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काशत रहा है। बल्कि विवादित भूमि पर अपीलान्टस का निरंतर कब्जा काशत चला आ रहा है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित डिक्री दिनांक 07.09.1972 की पालना विवादित भूमि अनुसूचित जाति की भूमि होना मानकर नहीं की गई है जबकि उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कभी थी ही नहीं तथा न ही श्रवण रेगर के नाम भूमि होने का कोई आधार ही है। अनुसूचित जाति के उक्त व्यक्ति अपीलान्टस के हाली थे तथा अपीलान्टस की कृषि भूमि पर खेती करते थे। उन्होंने कथन किया कि जब सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रभाव में हो तो आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरण निरस्त किया जावे व उसके आधार पर किए गये इन्द्राजों को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोंडेन्टस का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पूर्ण जांच पश्चात कब्जे काशत की रिपोर्ट के आधार पर तथा राजस्व रेकार्ड में हुए इन्द्राज के परिपेक्ष्य में स्वीकृत किया गया है। विवादित भूमि रेस्पोंडेन्टस की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि है इस तथ्य की पुष्टि विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1963 से होती है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि आज तक कब्जा काशत सरवण पुत्र मोती रेगर का था जो आज तक मुझ बाप द्वारा ने माहेश्वरी को बेची है। उनका कथन है कि श्री हरिदास पुत्र श्री घनश्याम माहेश्वरी द्वारा रेस्पोंडेन्टस के कब्जे की भूमि का अवैध रूप से विक्रय किया गया था, इसी कारण उक्त अवैध विक्रय पत्र का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सका। वकील रेस्पोंडेन्टस ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा अपीलान्टस के पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 01.09.1972 अवैध, प्रभाव शून्य तथा राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण उसकी पालना नहीं की जा सकती थी तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम अंकित भूमि अन्य जाति के व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती थी, उक्त डिक्री Ab Intio void थी। उनका यह भी कथन है कि दिनांक 01.09.1972 को पारित डिक्री की 12 वर्ष में पालना नहीं की गई तो अब उक्त आदेश मियाद बाहर हो चुका है। वकील रेस्पोंडेन्टस ने हमारा ध्यान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि उक्त आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है जो विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश जारी है अतः न्यायहित में उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जावे। जवाबुल जवाब में वकील अपीलान्टस ने कथन किया कि उक्त अपील विवादित भूमि के क्रेतागण द्वारा की गई है न कि मृतक श्रवण के वारिसान द्वारा उन्हें अपील करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसका विरोध करते करते हुए वकील रेस्पोंडेन्टस ने कथन किया कि उनके द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है इसी



8/✓
अपर क्लर्क
अजमेर

कारण डिक्री को चुनौती देनी पडी है। वकील रेस्पोंडेन्टस का यह भी कथन है कि विवादित भूमि पर उनका लगातार कब्जा काश्त है। खसरा गिरदावरी उनके नाम दर्ज है तथा राजस्व रेकार्ड में रेस्पोंडेन्टस खातेदार दर्ज है ऐसी स्थिती में अपीलान्टस का विवादित भूमि पर कब्जा कैसे माना जा सकता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील An Intio void डिक्री के आधार पर तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत की गई है अतः निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में रेस्पोंडेन्टस द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 जा. दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड व मौके की पूर्ण जांच करने के पश्चात पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। जहां तक उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित डिक्री दिनांक 01.09.1972 की पालना करवाने का प्रश्न है यह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है इसके अतिरिक्त उक्त निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है। नामान्तरकरण कार्यवाही Fiscal Proceeding मात्र है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकारों निर्णय नहीं हो सकता। अपील के माध्यम से अपीलान्टस को कोई अनुतोष नहीं किया जा सकता। अपने अधिकारों के लिए उन्हें सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्टस सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश आज दिनांक 18.03.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर